न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—185 / 2013 / 75 (2013 / 00053)

1. नाजिम अली पुत्र स्व0 अली हुसैन पौत्र स्वर्गीय भूरा, जाति सैयद मुसलमान, निवासी ग्राम सूरजपुरा (खरवा) तह0 मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. जमाल पुत्र स्व0 हासम,
2. नवाब पुत्र स्व0 हासम,
3. कम्मा पुत्र स्व0 श्री निजाम,
   समस्त जाति सैयद मुसलमान, नि0 ग्राम सूरजपुरा (खरवा) तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान आवंटन / नियमन सलाहकार समिति राजस्व कैम्प खरवा, अजमेर, दिनांक 21.7.1984.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री के0के0 पुरोहित, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 4 .

निर्णय

दिनांकः— 31.10.2019

1. यह अपील विद्वान आवंटन / नियमन सलाहकार समिति राजस्व कैम्प खरवा के आदेश दिनांक 21.7.1984 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता स्व0 अली हुसैन पुत्र स्व0 भूरा द्वारा ग्राम सूरजपुरा (खरवा), तह0 मसूदा, जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नंबर 3771, 3772, 3774, 3775, 3778 की भूमियों को रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व हुसैन अली पुत्र समदा से जरिये विभिन्न विक्रय पत्र दिनांक 22.6.1981 द्वारा क्रय की जाकर भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया गया, जिन कृषि भूमियों के भू—संशोधन पश्चात् वर्किंग खसरा नंबर 5911, 5898, 5899, 5894, 5893, 5895 व 5903 कायम किये गये है । इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित भूमियों के समीप अन्य भूमियां अपीलांटस की पैतृक खातेदारी

व आधिपत्य की भूमिया स्थित है । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त विक्रय की गई भूमियों के साथ साबिक खसरा नंबर 4076 की भूमि, जो कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिवायचक भूमि होकर अपीलांटस के पैतृक व उक्त वर्णित क्रयशुदा भूमियों के मध्य अवस्थित है, का भी भौतिक आधिपत्य अडत–पडत–गुड़त सहित अपीलांट के पिता स्व0 अली हुसैन को प्रदान कर दिया गया था जिन पर वह अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट का आज दिवस तक बिना किसी दखल, व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है । भूमि की सुरक्षा के लिये चारों तरफ पत्थरों की पक्की चार–दीवारी का निर्माण कराया गया है । रेस्पोडेंटस का उक्त वर्णित भूमि से दिनांक 22.6.1981 के बाद से कभी भी किसी प्रकार का कोई वास्ता, सरोकार, हक, अधिकार व आधिपत्य नहीं रहा है तथा न ही कभी किसी प्रकार से कोई काश्त ही की गई है, परन्तु विद्वान आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमियों बाबत् विधिवत् रूप से किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा जारी किये बिना तथा बिना भौतिक आधिपत्य की जांच किये अपीलांट के पैतृक हक व आधिपत्य की भूमि को राजस्व कैम्प खरवा में पारित आदेश दिनांक 21.7.1984 द्वारा रेस्पोडेंटस को नियमन किये जाने की गैर कानूनी आज्ञा पारित कर दी । । आवंटन/नियमन सलाहकार समिति के इस आवंटन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.3.2013 को विवाद उत्पन्न किये जाने के पश्चात् आराजी मुतनाजा से संबंधित अन्य राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त किये जाने पर दिनाक 20.3.2012 को विद्वान आवंटन/नियमन सलाहकार समिति, कैम्प खरवा द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 21.7.1984 की सर्वप्रथम जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने विधिक राय प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति कैम्प खरवा द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 21.7.1984 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आवंटन/नियमन नियम 1970 के नियम 13 के तहतज सलाहकार समिति के अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होते है, जबकि आराजी मुतनाजा से संबंधित राजस्व कैम्प खरवा दिनांक 21.7.1984 को आवंटन/नियमन सलाहकार समिति में उपखण्ड अधिकारी उपस्थित नहीं थे तथा न ही उनके हस्ताक्षर आदेश पर है। इसके अतिरिक्त संबंधित पंचायत समिति के प्रधान भी उपस्थित नहीं रहे तथा समिति के सदस्यों में केवल मात्र सरपंच ग्राम पंचायत, खरवा के हस्ताक्षर है । इस प्रकार विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व कैम्प खरवा दिनांकम 21.7. 1984 को आवंटन/नियमन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं होने से आवंटन आदेश प्रारंभ से अवैध एवं शून्य होकर आराजी मुतनाजा बाबत् पारित नियमन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि

आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा न तो आवंटन हेतु कोई सूची तैयार की गई तथा न ही इस बाबत् आवंटन/नियमन नियम 1970 के नियम 7 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा ही जारी की गई है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त योग्य है । ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट एवं उनके पूर्वाधिकारी आराजी मुतनाजा पर दिनांक 22.6.1981 से आज दिवस तक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा राजस्व कैम्प निर्धारित किये जाने की तिथि को भी आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त होकर चारदीवारी इत्यादि निर्मित्त करते हुए मय परिवार के काश्त करते चले आ रहे है । अपीलांट विवादित भूमि को आवंटन कराने के प्रथम पात्र थे । आवंटन से पूर्व आवंटन की उद्घोषण नहीं किये जाने से बरवक्त आवंटन अपीलांट की ओर से कोई प्रार्थना पत्र समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था । बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन समिति द्वारा आवंटित आराजी के भौतिक आधिपत्य बाबत् कोई जांच नहीं की गई जो आवंटन हेतु विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होने से आवंटन आदेश निरस्तनीय है । विवादित आवंटित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त न होकर अपीलांट का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से चला आ रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आवंटन आदेश दिनांक 21.7.1984 निरस्त किया जावे ।

7. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने कथन किया कि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश मजमे में आम में राजस्व कैम्प के दौरान पारित किया गया है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि उसे आवंटन आदेश की जानकारी नही थी, किया गया कथन उचित एवं सद्भाविक नहीं है । अपीलांट द्वारा सन् 1984 के आवंटन इतने वर्षो उपरांत लगभग 29 वर्षो के बाद चुनौती दी गई है जबकि नियमानुसार आवंटी/रेस्पो0 को विवादित आवंटित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । बरवक्त आवंटन विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज होने तथा रेस्पो0 का कब्जा काश्त होने से आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । आवंटन/नियमन सलाहकार समिति कैम्प खरवा का विवादित आराजी बाबत् पारित आदेश दिनांक 21.7.1984 विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । आवंटन सलाहकार समिति ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने आवंटन/नियमन सलाहकार समिति, कैम्प खरवा के आवंटन आदेश दिनांक 21.7.1984 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष 2.7.2013 को लगभग 29 वर्षो के उपरांत अपील अंतर्गत धारा 75 राज0भू–राजस्व अधि0 के पेश की है ।

अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में जानकारी की तिथि दिनांक 15.3. 2013 होने का कथन किया किया तथा कथन किया कि दिनांक 15.3. 2013 को अप्रार्थीगण द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर अपीलाधीन आवंटन/नियमन आदेश की जानकारी हुई है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आवंटन/नियम आदेश राजस्व कैम्प, खरवा में दिनांक 21.7.1984 को पारित किया गया है । उक्त कैम्प में आवंटी/रेस्पो0 को ही नहीं ग्राम अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया था । उक्त कमेटी में तहसीलदार, ब्यावर, सरपंच, ग्राम पंचायत, खरवा एवं सदस्य अनुसूचित जाति–जनजाति पंचायत समिति मसूदा उपस्थित थे । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही ग्राम के निवासी है इसलिये अपीलांट को ग्राम में राजस्व कैम्प की जानकारी नहीं रही हो यह असंभव है । उपरोक्त आवंटन मजमें आम में किया जाना पत्रावली से प्रकट है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे ठोस एवं पर्याप्त कारण नहीं है । इतने भारी विलंब को क्षम्य किये जाने हेतु ठोस एवं पर्याप्त कारण बताना आवश्यक है जिसमें प्रार्थी/अपीलांट पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 विलंब के ठोस एवं पर्याप्त कारणों के अभाव में खारिज किया जाता है ।

10. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर